न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।

F.D.

अनुसूची 14 फारम संख्या 562 — अब्दुल हफिज अंसारी .... अपीलार्थी

आदेश पत्रक — बनाम्

मो० एजाज अंसारी .... प्रतिवादी

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक जिला पलामू।

नामान्तरण अपील वाद संख्या.........11.........सन् 2020

आदेश की की क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.12.20	अपीलार्थी अब्दुल हफिज अंसारी वल्द स्व0 मोहम्मद सुलेमान अंसारी ग्राम+पो0- कोसीआरा, थाना-- ~~मोहम्मदगंज~~ हैदरनगर, जिला पलामू की ओर से अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा Online नामान्तरण वाद संख्या 106/2019-20 में पारीत आदेश दिनांक 02.10.2019 के विरुद्ध अपील दायर किया गया है तथा अपील आवेदन के साथ समय सीमा के बिलम्ब अवधी को क्षान्त करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के सुना एवं अपील आवेदन का अवलोकन किया। समय सीमा के विलम्ब अवधी को क्षान्त करते हुए अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें एवं अभीलेख की मांग करें तथा सुनवाई हेतु दिनांक 08.01.2021 को रखे। (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।	P.N.-115 09.5.2[illegible] (हस्ताक्षर) Raj 09.5.[illegible]
08.01.21	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा दाखिल। प्रतिवादी अनुपस्थित। ता० 15.01.21 L.R.D.C.	

आदेश की क्र0 सं0	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कारव
27.10.21	~~श्री ... उपस्थित। अधिवक्ता आशुपात्रा / प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा दाखिल।~~ प्रतिवादी के अधिवक्ता का कथन है कि ~~यह~~ संबंधित भूमि शैया देवी का है और इसपर मेरा कोई दावा नहीं है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आदेशार्थ। 27/11/21	Seen 27/11/2021

न्यायालय – भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

Schedule XIV Form No- 562

अब्दुल हाफिज अंसारी -------- अपीलार्थी
बनाम
मो० एजाज अंसारी .... प्रतिवादी

See Rule 129 Of THE RECORD MANNUAL, 1941

नामांतरण अपील वाद संख्या – 11 / 2020

Date of order of Proceding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3
27-10-2021	(see order below)	

आदेश

27-10-2021

अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज द्वारा ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 106/2019-20 में दिनांक 02-10-2019 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील वाद दायर किया है | वाद से सम्बंधित भूमि का विवरण :- मौजा – तारा , थाना नंबर - 303, अंचल - मोहम्मदगंज

हाल सर्वे खाता नंबर	हाल सर्वे प्लाट नंबर	रकबा (एकड़ में)
123	840	0.08
123	841	0.08

अपीलार्थी का कथन है कि प्रतिपक्षी ने मौजा तारा के खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 626 रकबा 0.16 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रम पत्र संख्या 1014 दिनांक 27-05-1999 द्वारा श्रीमती शैला देवी से खरीदा और खरीदने के बाद प्रतिपक्ष का नामांतरण हुआ | इसके पश्चात रसीद निर्गत हो रहा है |

प्रतिपक्ष के द्वारा अपने प्रज्ञा केंद्र से दाखिल खारिज आवेदन ऑनलाइन किया गया और प्रथम दाखिल खारिज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया गया उसका केस नंबर 441 /2018-19 है तथा द्वितीय दाखिल खारिज संख्या का केस नंबर 106 /2019-20 है |

एक ही दस्तावेज संख्या 1014 दिनांक *27-05-1999* का दो बार ऑनलाइन आवेदन किया गया है जिस कारण एक ही भूमि के रकबा का दो बार नामांतरण हुआ है, जो गलत है | एक ही भूमि का प्रतिपक्ष के द्वारा विक्रय पत्र का तिथि और विक्रय पत्र संख्या बदल बदल कर दो बार ऑनलाइन आवेदन दिया गया और नामांतरण कराया गया है, जो पूर्णत: गलत है एवं प्रतिपक्ष द्वारा दस्तावेज की कूट रचना कर न्याय विरोधी कार्य किया गया है | इसप्रकार एक ही भूमिका दो बार ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है जो गलत है |

प्रारंभ में प्रतिपक्ष ने अपने प्रतिउत्तर में प्रार्थी द्वारा दायर किए गए अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है | परंतु बहस के दौरान प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि संबंधित भूमि शैला देवी का है और इस पर मेरा कोई दवा नहीं है | साथ ही प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन को आदेश फलक पर हस्ताक्षर कर सत्यापित भी किया है |

अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज का पत्रांक 147 दिनांक 16 06-2020 समर्पित किया गया है, जो प्रश्नगत भूमि के जांच से संबंधित है | इसमें अंकित है कि प्रतिवादी के द्वारा अपने ही प्रज्ञा केंद्र से प्रश्न गत भूमि के दाखिल खारिज हेतु दो बार आवेदन किया गया दोनों आवेदन स्वीकृत हुए |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, एक ही केवल को दो बार नामांतरण हुआ है | अत: अपीलार्थ के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज द्वारा ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 106-2019-20 में दिनांक 02-10-2019 को पारित आदेश को ख़ारिज किया जाता है |

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज को अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु भेजें | इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है |

लेखापित एवं संशोधित

27/x/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू) |

27/x/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू) |

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2024.07.13 14:07:11 +05:30
Location: 192.168.31.45